राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0
लखनऊ–226027

संख्याः ई– 3990/जी0एस0
दिनांक : जून 06,2025

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के
अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ0प्र0) के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

महोदय,

अवगत कराना है कि डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ0प्र0) के कुलपति पद पर नियुक्ति की जानी है। उपर्युक्त हेतु विज्ञापन की प्रतियां (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं पेन ड्राइव संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः संलग्न विज्ञापन संख्या : ई–3940/2025, दिनांक जून 05, 2025 का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के दो एवं प्रदेश स्तर के दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के साथ इसे इलेक्ट्रानिक ई–सेवायें पोर्टल ग्रुप पर भी डलवाने का कष्ट करें। हिन्दी विज्ञापन को हिन्दी दैनिक समाचार पत्र एवं अंग्रेजी विज्ञापन को अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अंग्रेजी राष्ट्रीय स्तर के जिस समाचार पत्र में उपर्युक्त विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए उस अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करण (Edition) में यह विज्ञापन प्रकाशित होगा।

कृपया प्रकाशित विज्ञापन की प्रति भी अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

प्रतिलिपि :–

1. प्रोग्रामर, कम्प्युटर प्रकोष्ठ, राजभवन, लखनऊ को राजभवन की वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड करने हेतु।
2. सहायक निदेशक, सूचना, राजभवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन की कटिंग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

संलग्नक : यथोपरि।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

राज भवन, लखनऊ

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ0प्र0.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई–3940/जी0एस0

दिनांक : जून 05, 2025

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ0प्र0), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा–12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए रहेगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट **"www.upgovernor.gov.in"** पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 07.07.2025 (सोमवार) तक केवल ऑनलाइन **(Online)** प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR DR. BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, AGRA(U.P.)

Advt. No. : E-3940 /GS

Dated : June 05, 2025

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for the Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra (U.P.), established under The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of sixty eight years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application **Online only** in prescribed format available on the website "**www.upgovernor.gov.in**" on or before dated **07.07.2025 (Monday)**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

06/6/25

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.